

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा ( नागौर ) राजस्थान

अज अदालत:- सुभाष हेमानी ( RTS )

प्रकरण संख्या :- 79 / 2018

निर्णय दिनांक 16.10.2018

प्रार्थी  
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी  
पटवारी हल्का बासेड

बनाम

अप्रार्थी  
देवकरण पुत्र कानाराम गुर्जर  
निवासी बासेड

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बासेड ने अप्रार्थी के विनवश टी पी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद ग्राम बासेड के खसरा नम्बर 515 में किरग बा.1 मेंसे रकबा 0.0450 हेक्ट. भूमि में बाडा व पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है। जिस पर याद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्तो वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी देवकरण से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने दिनांक 16.10.2018 को उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवम निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम बासेड के खसरा नम्बर 515 में किरग बा.1 मेंसे रकबा 0.0450 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाया है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रुपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0450 हेक्ट. भूमि के 0.27 रुपये लगान का 50 गुणा 14 /- अक्षरे चौदह रुपये बतौर जुर्माना उभित किया जाता है। जुर्माना की रशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को कभरा गांग कायमी व वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भीतिक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर